

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936

No. 650]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

सं. 23/2014-सेवा कर

सा.का.नि. 872(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) के साथ पठित, उपधारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सेवा कर नियमावली, 1994 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1 (1) इन नियमों को सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर नियमावली, 1994 में, नियम 5क में, उपनियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“(2) प्रत्येक निर्धारिती, उपनियम (1) के अंतर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारी को अथवा आयुक्त द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षा दल को अथवा भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को अथवा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72क के अंतर्गत नामित कास्ट एकाउंटेंट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट को, मांगे जाने पर

(i) नियम (5) के उपनियम (2) के अनुसार उसके द्वारा रखे जाने वाले अथवा तैयार किए गए रिकॉर्ड;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 के अंतर्गत लेखा-परीक्षा लागत रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अंतर्गत आयकर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो,

अधिकारी अथवा लेखा-परीक्षा दल, अथवा कास्ट एकाउंटेंट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट, द्वारा जांच-पड़ताल किए जाने के लिए, उक्त अधिकारी अथवा लेखा-परीक्षा दल अथवा कास्ट एकाउंटेंट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट, जैसा भी मामला हो, को, उसके द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अंतर्गत जांच हेतु उपलब्ध करवाएगा।”

[फा. सं. 137/46/2014- सेवा कर]

हिमानी भयाना, अवर सचिव

नोट :—प्रधान नियम दिनांक 28 जून, 1994 की अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 28 जून, 1994 को सा.का.नि. संख्या 546(अ), के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 25 अगस्त, 2014 की सा.का.नि. सं. 614 (अ), के तहत दिनांक 25 अगस्त, 2014 की अधिसूचना सं. 19/2014 सेवा कर के अंतर्गत अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2014

No. 23/2014-SERVICE TAX

G.S.R. 872(E).—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2), read with sub-section (1) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely: —

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 5A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Every assessee, shall, on demand make available to the officer empowered under sub-rule (1) or the audit party deputed by the Commissioner or the Comptroller and Auditor General of India, or a cost ^{accountant} or chartered accountant nominated under Section 72A of the Finance Act, 1994,—

- (i) the records maintained or prepared by him in terms of sub-rule (2) of rule 5;
- (ii) the cost audit reports, if any, under Section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
- (iii) the income-tax audit report, if any, under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), for the scrutiny of the officer or the audit party, or the cost accountant or chartered accountant, within the time limit specified by the said officer or the audit party or the cost accountant or chartered accountant, as the case may be.”

[F. No. 137/46/2014-Service Tax]

HIMANI BHAYANA, Under Secy.

Note: —The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 2/94-SERVICE TAX, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546 (E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No.19/2014-SERVICE TAX, dated the 25th August, 2014 *vide* number G.S.R. 614 (E), dated the 25th August, 2014.